न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 79/15 (23/09) अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हरबाई कौर धर्मपत्नि स्व0 प्रभूसिंह जाति लबाना सिख मृतक

1/1. भूरासिंह पुत्र स्व0 प्रभूसिंह जाति लबाना सिख मृतक

1/1/1. लाजवन्ती पत्नि स्व0 भूरासिंह जाति सिख लवाना बोलनी हाल म्कान नं0 जे–53 गली नं0 4, सैक्टर 16, रोहिणी सरदार नगर देहली ।

1/1/2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्वव भूरासिंह लबानासिख बोलनी हाल देहली

1/1/3. रामसिंह पुत्र स्व0 भूरासिंह जाति लबाना सिख बोलनी हाल देहली

1/1/4. अमरसिंह पुत्र स्व0 भूरासिंह जाति लबाना सिख बोलनी हाल मकान नम्बर जे 53, गली नं0 4, सैक्टर 16, रोहिणी सरदार नगर कालोनी देहली ।

1/2. करतार सिंह पुत्र स्व0 प्रभूसिंह जाति लबाना सिख

1/3. सन्तु सिंह पुत्र स्व0 प्रभूसिंह जाति लबाना सिख

1/4. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र स्व0 प्रभूसिंह जाति लबाना सिख निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल आबाद मकान नं0 जे 53 गली नम्बर 4 सैक्टर 16 रोहणी सरदार नगर कोलोनी, नई दिल्ली ।

1/5. शीतल कौर पुत्री प्रभूसिंह धर्मपत्नि स्व0 मनुसिंह

भू-प्रबन्ध अधि. एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1/6. रानी कौर उर्फ मुमली पुत्री प्रभूसिंह धर्मपत्नि दर्शनसिंह जाति लबाना सिख निवासी ए 66 विकास बिहार नई दिल्ली

1/7. सीमा पुत्री प्रभूसिंह धर्मपत्नि जगमोहन जाति लबाना सिख निवासी शकुरपुर सम्रा पिक्चर हाल के पास नई दिल्ली

1/8. पदमाकौर पुत्री प्रभूसिंह बेवाह सुच्चा सिंह निवासी ग्राम बुडली तह0 सीकरी जिला भरतपुर राजस्थान

1/9. बबली उर्फ कमला पुत्री प्रभूसिंह धर्मापत्नि सरदार सिंह जाति लबाना सिंख निवासिी तिलक बिहार बी 76 नई दिल्ली

1/10. रेखा पुत्री सिख वारिसान काबिजान जायदाद मृतक प्रभूसिंह पुत्र कुडिया सिंह जाति लबाना सिख निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:------ अपीलांट

बनाम

1 सुभाष चन्द पुत्र मनोहरलाल जाति अहीर

2 अजयसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति अहीर

3 ,किशोरी लाल पुत्र सुखदेव जाति अहीर

4 रामसिंह पुत्र सुखदेव जाति अहीर निवासीयान ग्राम तितरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

5 मनोहरलाल पुत्र शिवदयाल जाति महाजन निवासी ग्राम तितरका किशनगढबास जिला अलवर

6 हाकमलदीन पुत्र ममरेज जाति मेव

7 हकमुदीन पुत्र ममरेज जाति मेव

8 अशरफी बेवाह ममरेज जाति मेव निवासी ग्राम तितरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

9 राजपाल पुत्र चिरन्जी कौम अहीर

/

Scanned by CamScanner

10 दुलीचन्द पुत्र चिरन्जी कौम अहीर

11 भवानी पुत्र चिरन्जी कौम अहीर निवासीयान ग्राम तितरका तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान:-------- रेस्पो0

12 होशियारसिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति लबाना सिख निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, किशनगढबास दिनांक 26.4.2000

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री आनन्द सिंह

2. वकील रेस्पो0 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 30/9/19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, किशनगढबास द्वारा दावा संख्यास 46/92 में पारित निर्णय दिनांक 26.4.200 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया । दौराने विचारण वाद पत्र प्रतिवादीगण के वकील आपत्ति उठाई कि प्रभूसिंह पुत्र कुडियासिंह फौत हो गया है, इसलिये दावा नहीं चल सकता । इस पर तहत न्यायालय ने यह कहते हुये वाद पत्र खारिज कर दिया कि वादी प्रभूसिंह के उपस्थित नहीं होने के कारण सी0 पी0 सी0 के ऑर्डर 10 रूल 02 के तहत मौखिक परीक्षा नहीं की जा सकती । इससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि प्रभूसिंह दिनांक 6.9.2006 को फौत हुआ है । जिस दिन प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र दिया था, उस दिन प्रभूसिंह जिन्दा था और देहली में रहता था । ऐसी स्थिति में वाद पत्र खारिज नहीं किया जाना चाहिये था । मुख्त्यार आम होशियारसिंह को दौराने विचारण वाद पत्र यह ज्ञान नहीं हो सका कि प्रभूसिंह दिल्ली में किस जगहर रहता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

है,इसलिये उसे पेश नहीं किया जा सका । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि दौराने विचारण वाद पत्र प्रभूसिंह फौत हो चुका था । अगर वह उस समय जिन्दा था तो उसे तहत न्यायालय में उपस्थित करना चाहिये था । वास्तविकता यह है कि वह काफी समय पूर्व ही फौत हो चुका था । इसलिये तहत न्यायालय ने सही तौर पर वाद पत्र खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था और तनकियात कायम कर दी गई थी । विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि जिस समय प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र को खारिज कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस समय प्रभूसिंह जीवित था, परन्तु उसका निवास का पता मालूम नहीं था, इसलिये मुख्त्यार आम द्वारा उसे उपस्थित नहीं किया जा सका था । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि प्रकरण को किसी तकनीकी बिन्दू पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि उसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । प्रकरण में तनकियात कायम हो चुकी है । अतः विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर विश्वास करते हुये हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण किये जाने हेतु रिमांड किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.4.2000 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 16 Oct. को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner